छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 27/5/2016

क्रमांक एफ 7–28/2016/32 :: प्रायः आवासीय कालोनियों में खुली विद्युत लाईनें हैं। खुली विद्युत लाईनों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही विद्युत खंभों के कारण सार्वजनिक मार्गों की चौडाई एवं यातायात प्रभावित होता है। इस स्थिति पर विचार करने के बाद राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक–23, सन 1973) की धारा 73 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित करता हैः–

1. विकासकर्ता/स्वामी/निर्माणकर्ता के द्वारा विकसित किये जाने आवासीय कालोनियों में विद्युत लाईनों विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु भूमिगत विद्युत केबल की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित संहिता, सहपठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार किया जावेगा।

2. भूमि स्वामी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों अथवा कर्त्तव्यों का पालन नहीं किये जाने की अवस्था में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 (3) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ 7–28/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 27/5/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव